

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.कमांक-806/2011

संस्थित दिनांक-01.07.2011

कौडूलाल चौधरी वल्द सम्मलसिंह चौधरी, उम्र-62 वर्ष,
 साकिन बिरसा, थाना बिरसा, तहसील बैहर,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

परिवादी

// विरुद्ध //

भवानीप्रसाद तुरकर पिता अंजीलाल तुरकर, उम्र-35 वर्ष,
 निवासी—बिरसा, थाना बिरसा, तहसील बैहर,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-17/03/2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 427, 506 (भाग-1) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-18.06.2011 एवं 19.06.2011 को करीब 2:00 बजे आरक्षी केन्द्र बिरसा अन्तर्गत परिवादी कौडूलाल की पत्नी मथुराबाई को माँ-बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, फरियादी के खेत की बाड़ी तोड़कर जानवरों द्वारा धान की खार नष्ट करवाकर रिष्टी कारित की तथा संत्रास कारित करने के आशय से क्षति कारित करने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— संक्षेप में परिवादी का परिवाद इस प्रकार है कि आरोपी भवानीप्रसाद तुरकर द्वारा घटना दिनांक-18.06.2011 को परिवादी कौडूलाल एवं उसकी पत्नी मथुराबाई को माँ-बहन की गंदी-गंदी गाली दी जाकर, यह कहा जा रहा था कि उनकी पूरी जमीन पर कब्जा कर लेगा और आने-जाने का रास्ता बंद कर देगा और उक्त दिनांक को आरोपी ने परिवादी की पार के किनारे जहां से अभियोगी का टट्टा लगा हुआ था, मुरुम डालकर टट्टा तोड़ दिया तथा अभियोगी की जमीन को दबा दिया था तथा दिनांक-19.06.2011 को जब परिवादी की पत्नी आरोपी को मना करने गई तो आरोपी ने अभियोगी को मादरचोद, बहनचोद, तेरी माँ को चोदू, मै तेरी बाड़ी को तोड़ दिया हूं और तेरी जमीन पर कब्जा करके रहूंगा, देखता हूं तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है और आज के बाद तुम और तुम्हारी पत्नी फरियाद करने आए तो दोनों को कुल्हाड़ी से काटकर जान से खत्म कर देंगे। विवादित घटनास्थल आम रोड़ से लगा हुआ है, जहां से लोगों का आना-जाना होता है। गाली सुनने में परिवादी को बुरी लगी

एवं जान से मारने की धमकी से वह भयभीत हो गया था। परिवादी का बाहर आना-जान बंद हो चुका है तथा आरोपी द्वारा बाड़ी तोड़ देने से जानवरों ने घुस कर फसल को नष्ट कर दिए हैं, जिससे परिवादी उस सत्र में धान की फसल की काश्तकारी से वंचित हो गया था तथा परिवादी को लगभग 20 किंवटल धान कीमती 20,000/-रुपये का नुकसान हुआ था।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 427, 506(भाग-1) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-18.06.2011 एवं 19.06.2011 को करीब 2:00 बजे आरक्षी केन्द्र बिरसा अन्तर्गत परिवादी कौडूलाल की पत्नी मथुराबाई को माँ-बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में परिवादी कौडूलाल के खेत की बाड़ी तोड़कर जानवरों द्वारा धान की खार नष्ट करवाकर रिष्टी कारित की ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर परिवादी कौडूलाल संत्रास कारित करने के आशय से क्षति कारित करने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5- कौडूलाल (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी भवानीप्रसाद को जानता है। साक्षी ने कथित घटना दिनांक-18.06.11 को आरोपी के द्वारा क्या कहा या धमकी दी, इसका खुलासा नहीं किया है। साक्षी का आगे यह कथन है कि दिनांक-19.06.11 को उसकी पत्नी उसकी भूमि में लगे हुए टट्टे देखने गई तो आरोपी ने उसको माँ-बहन की गालियां देते हुए आने-जाने का रास्ता बंद करने की धमकी दी तथा जान से मारने की भी धमकी दी। उक्त गाली सुनने में उसे बुरी लगी थी। घटनास्थल पर आम रास्ता नहीं है। उसने घटना की रिपोर्ट थाना बिरसा में दर्ज कराई थी, किन्तु पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। साक्षी का यह भी कथन है कि उसके द्वारा पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना प्रदर्श पी-1 लेख कराई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। यद्यपि उक्त सूचना प्रदर्श पी-1 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक-18.06.11 को उसके और आरोपी के बीच खेत में से आने-जाने के रास्ते पर से विवाद होने पर रिपोर्ट लिखाई गई थी।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी के पिता और उसका वर्ष 1999 के पहले से खेती की जमीन को लेकर विवाद रहा है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपी के पिता के खिलाफ एक वाद भी पेश किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी की शिकायत पर से उसके विरुद्ध भूमि पर अतिक्रमण करने के संबंध में राजस्व प्रकरण व प्रतिबंधात्मक कार्यवाही राजस्व न्यायालय में चल रही है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट में गाली-गलौज किये जाने के संबंध में तथा उसे क्षति होने के संबंध में लेख नहीं कराया है। साक्षी के द्वारा उक्त सूचना घटना के लगभग 9 दिन बाद दिनांक-27.06.11 को लेख कराए जाने के संबंध में भी चुनौती दी जाने पर अपने कथन में कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त साक्षी के द्वारा पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना विलंब से लेख कराए जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिए जाने तथा उक्त सूचना में कथित गाली-गलौज व क्षति कारित करने के तथ्य का लोप किये जाने का भी कोई कारण साक्ष्य में प्रकट नहीं किये जाने से पश्चातवर्ती दशा में परिवाद में लेख किये गए तथ्यों से संदेहास्पद परिस्थितियां प्रकट होती है।

7— परिवादी की पत्नी मथुराबाई (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना दिन के 2:00 बजे की है जब वह अपने खेत में मुरम उठाने गई थी, तो आरोपी भवानी ने उसे दाई-माई की गाली देते हुए खेत में कब्जा करने की धमकी दी थी। उसके बाद उसका लड़का और पति मौके पर आ गया था। उसका पति रिपोर्ट करने गया था। टट्टा टूटने से उसे 20,000/-रुपये का नुकसान हुआ था। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कथित टट्टा किसके द्वारा तोड़ा गया था, इसका खुलासा नहीं किया है। साक्षी ने घटना रोड़ पर घटित होना प्रकट किया है, जबकि परिवादी कौडूलाल (अ.सा.1) का कथन है कि घटनास्थल आम रास्ता नहीं है। इस प्रकार घटनास्थल के संबंध में उक्त दोनों साक्षीगण के कथनों में परस्पर विरोधाभास है।

8— मथुराबाई (अ.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी के परिवार और उनके बीच वर्ष 1992-93 से रंजिश बनी हुई है और उस समय उसने आरोपी के पिता के विरुद्ध एक मामला छेड़खानी का पेश किया था, जो झूठा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उस समय से आज तक आरोपी से रंजिश होने से यह मामला पेश किया गया है। इस प्रकार साक्षी के कथन से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि परिवादी ने यह परिवाद आरोपी के विरुद्ध पूर्व रंजिश होने के कारण पेश किया है।

9— परिवादी का पुत्र संतोष (अ.सा.3) का कथन किया है कि घटना दिनांक-18.06.11 को दिन के 2:00 बजे आरोपी ने उसके खेत में मुरम डाल दिया था, जिससे टट्टा टूट गया था। टट्टा टूटने से जानवर घुस जाने से उसे 20 क्विंटल अनाज का नुकसान हुआ था। आरोपी ने गाली-गलौज भी की थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके पिता और आरोपी के पिता की बीच 18-20 साल से जमीन का झगड़ा चल रहा है और तभी से उनके बीच रंजिश चली आ

रही है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके पिता ने थाने में लिखाई रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 में आरोपी द्वारा गाली-गलौज किये जाने व नुकसानी वाली बात न लिखाई हो तो वह कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने विलंब से रिपोर्ट लिखे जाने के संबंध में भी चुनौती दी जाने पर कोई कारण नहीं बताया है। इस प्रकार इस साक्षी के कथन से भी आरोपी और परिवादी के मध्य पूर्व रंजिश होने, विलंब से रिपोर्ट लिखाए जाने का कारण न बताए जाने के तथ्य से तथा कथन में परस्पर विरोधाभास होने से साक्षी के कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं।

10— परिवादी की ओर से स्वयं कौडूलाल (अ.सा.1) के अलावा उसकी पत्नी मथुराबाई (अ.सा.2) एवं पुत्र संतोष (अ.सा.3) की साक्ष्य कराई है। इसके अलावा किसी भी स्वतंत्र साक्षी को परिवादी ने पेश नहीं किया है। उक्त सभी परिवादी साक्षीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा उनकी आरोपी के परिवार से जमीन के विवाद को लेकर पुरानी रंजिश होना प्रकट होती है। स्वयं मथुराबाई (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि परिवादी ने यह परिवाद आरोपी के विरुद्ध पूर्व रंजिश होने के कारण पेश किया है। साक्षीगण के कथनों में घटनास्थल लोकस्थान या उसके समीप वाले स्थान होने के संबंध में परस्पर विरोधाभास है। मथुराबाई (अ.सा.2) ने घटना के समय उसे आरोपी द्वारा कथित रूप से गाली-गलौज किया जाना प्रकट किया है और उस समय उसका पति परिवादी कौडूलाल मौके पर न होना बताया है, जबकि कौडूलाल (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा कथित गाली-गलौज उसकी उपस्थिति में किया जाना और उसके बाद उसका लड़का मौके पर आना बताया है। इस प्रकार कथित गाली-गलौज के संबंध में भी साक्षीगण के कथनों में परस्पर विरोधाभास है।

11— मामलों में कथित घटना के संबंध में विलंब से पुलिस को सूचित किया जाना और उक्त सूचना में परिवाद के अनुसार घटना के महत्वपूर्ण तथ्यों का लोप होना भी मामलों को संदेहास्पद बनाता है। उक्त सभी तथ्यों को पूर्व रंजिश के तथ्य से जोड़कर विश्लेषण करने पर परिवाद पत्र रंजिशवश असत्य आधार पर पेश किया जाना प्रकट होता है। परिवादी ने स्वयं अपने पारिवारिक सदस्यों की साक्ष्य कराई है, जो कि हितबद्ध साक्षी के रूप में प्रकट होते हैं। साक्षीगण की साक्ष्य से यह तथ्य विश्वसनीय रूप से एवं संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने घटना के समय कथित अश्लील शब्दों का उच्चारण कर परिवादी को क्षोभ कारित कर उसे कथित नुकसानी पहुंचाकर रिष्टी कारित की है या उसे क्षति कारित करने की धमकी दी है।

12— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि परिवादी युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि तथाकथित घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी ने परिवादी कौडूलाल की पत्नी मथुराबाई को माँ-बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, फरियादी के खेत की बाड़ी तोड़कर जानवरों द्वारा धान की खार नष्ट करवाकर रिष्टी कारित की तथा संत्रास कारित करने के आशय से क्षति कारित करने

की धमकी देकर आपराधिक अभिवास कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 427, 506(भाग-1) से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

13- आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

14- आरोपी प्रकरण में अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। उक्त के संबंध में धारा-428 द.प्र.सं के अंतर्गत पृथक से प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)